-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 01.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर की मिशन शक्ति टीम द्वारा स्वराज कालोनी स्थित जीआईसी में जागरुकता अभियान चलाकर छात्रों को जुलाई-2024 से लागू तीन नए कानूनों तथा साइबर अपराधों से बचाव आदि के बारे में दी गई जानकारी।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर की मिशन शक्ति टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर स्वराज कॉलोनी स्थित जीआईसी में जागरुकता अभियान चलाकर छात्रों को साइबर अपराधों व जुलाई-2024 से लागू तीन नए कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारें में जानकारी दी गई। इस दौरान साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई जिसमें वर्तमान में नवीनतम तरीके से होने वाले साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें- केवाईसी अपडेट के नाम पर फर्जी कॉल्स या लिंक भेजकर उपयोगकर्ताओं से उनके निजी और बैंकिंग डिटेल्स मांगी जाती हैं। ओटीपी फ्रॉड जिसमें कॉल या मैसेज के ज़रिए उपयोगकर्ताओं से ओटीपी लेकर उनके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। यूपीआई स्कैम (UPI Scam) जिसमें UPI पेमेंट लिंक या QR कोड स्कैन कराकर खातों से राशि चुरा लेने। सोशल मीडिया हैकिंग जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर उनसे फर्जी संदेश भेजकर लोगों से पैसे मंगवाने। फर्जी कॉल्स जिसमें खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस या किसी प्रतिष्ठित संस्था का प्रतिनिधि बताकर ठगी करने। फिशिंग ईमेल्स (Phishing Emails) जिसमें आकर्षक ऑफर्स या नौकरी के नाम पर ईमेल भेजकर यूज़र्स की निजी जानकारी लेना आदि प्रकार के साइबर अपराधों के बारें में जानकारी दी गई। साथ ही सभी को 01 जुलाई 2024 से लागू हुए तीनो नए कानूनों **भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS 2023)**, **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS 2023)** तथा **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam - BSA 2023)** के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई।